संख्या-12/2017/2177/60-1-17-1/13(72)/06

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **दिनांक: 03 अगस्त, 2017**

विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के सरलीकरण एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु कैम्प आयोजित करने के संबंध में।

महोदय,

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-8/2017/1578/60-1-17-1/13(72)/06 दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा संशोधित दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व में योजना संचालन के संबंध में निर्गत शासनादेश में आवश्यक संशोधन करते हुये योजना को अत्यधिक सरल बनाया गया है, जिसके प्रमुख प्राविधान निम्नवत् हैं:-

(1) आवेदन पत्र भरने से लेकर धनराशि अंतरण तक की प्रक्रिया:-

1. आवेदिका को www.mahilakalyan.up.nic.in पर आनलाईन आवेदन करना है।
2. आवेदिका को आनलाईन आवेदन करने के उपरान्त किसी प्रकार की हार्डकापी किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करनी है।
3. आवेदिका के आनलाईन भरे गये आवेदन-पत्र की हार्डकापी खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा आनलाईन प्राप्त करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से जांच कराकर आनलाईन फार्म अग्रसारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेटके माध्यम से आनलाईन अग्रसारित आवेदन पत्रों पर जनपद स्तर पर गठित जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

5. जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति स्वीकृति किये गये लाभार्थियों का विवरण जिला प्रोबेशन अधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाईन लॉक किया जायेगा।

6. सदस्य सचिव जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति/जिला प्रोबेशन अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये गये लाभार्थियों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पेंशन धनराशि का अंतरण किया जायेगा।

(2) पात्रता का सरलीकरण:-

1. आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो।
2. आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो।
3. आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
4. आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रूपए दो लाख से अधिक न हो।
5. आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।

(3) आवेदन पत्र के निस्तारण की समय सीमा का निर्धारण:-

आनलाईन प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा आवेदन पत्र सबमिट करने के दिनांक से अधिकतम चार माह निर्धारित की गयी है।

1- प्रथम चरण (45 दिवस):-

- खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से 45 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्रों की जांच करानी होगी।
- 45 दिन के अंदर आवेदन पत्रों पर जांच कर कार्यवाही न किये जाने पर आवेदन पत्र संस्तुति सहित स्वतः अग्रसारित होकर खण्ड विकास

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेटके लॉगिन पर स्थानान्तरित हो जायेंगे।

2- द्वितीय चरण (15 दिवस):-

- o खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट के लॉगिन पर आवेदिका का विवरण प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर सत्यापन कर अग्रसारित करने होंगे।
- o 15 दिवस में निर्णय न लिये जाने की स्थिति में आवेदिका का विवरण स्वतः जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति के लॉगिन पर सत्यापित मानते हुये अग्रसारित हो जायेगा।

3- तृतीय चरण (एक माह):-

- o जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा आनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अंदर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- o एक माह के अंदर निर्णय न लिये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकृति एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक माने जाने जायेंगे तथा धनराशि भुगतान हेतु लाभार्थियों का विवरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई को उपलब्ध हो जायेंगे।

4- चतुर्थ चरण (एक माह):-

- o राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई जिला प्रोबेशन अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक एवं स्वतः लॉक आवेदकों के डाटा को पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर अपलोड कर भुगतान संबंधी समस्त कार्यवाही एक माह के अंदर पूर्ण कराकर धनराशि लाभार्थी के खाते में ट्रेजरी के माध्यम से भेजना नोडल अधिकारी, (योजना) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण:-

आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं धनराशि अंतरण तक की प्रक्रिया हेतु उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. प्रत्येक चरण के लिये निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र पर निर्णय न लिये जाने पर स्वतः अग्रसारित या स्वीकृति आवेदन जिस स्तर से होगा, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि, विसंगति, फर्जी या अनियमितता पाये जाने पर उसी स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यथा -

- प्रथम चरण व्यतीत होने के बाद स्वतः अग्रसारित होने पर ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/निकाय कर्मी/अन्य विभागों के कर्मी, जिनको लाभार्थियों के आवेदन पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।
- द्वितीय चरण व्यतीत होने के बाद स्वतः अग्रसारित होने पर खण्ड विकास अधिकारी/ उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्टेटट।
- तृतीय चरण व्यतीत होने के बाद स्वतः अग्रसारित होने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति।

(5) अधिकारियों के कार्यों का निर्धारण:-

योजनाधिकारी, मुख्यालय महिला कल्याण निदेशालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई आदि प्रत्येक स्तर के अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का स्पष्ट निर्धारण दिनांक 16 जून, 2017 के शासनादेश में किया गया है।

(6) एस0एम0एस0 भेजने की व्यवस्था:-

लाभार्थियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से निम्नलिखित स्तरों पर सूचना प्रेषित किये जाने का प्राविधान किया गया हैः-

1. आनलाईन आवेदन पत्र सबमिट करने पर।
2. आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जांचोंपरान्त अग्रसारित या रिजेक्ट करने पर।
3. जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत/ अस्वीकृत किये जाने पर।
4. पी0एफ0एम0एस0 से लाभार्थी का डाटा अस्वीकृत होने पर कारण सहित।
5. लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने पर।

(7) लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन एवं रिपोर्टिंग:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति को लाभार्थियों का शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में सुव्यवस्थित कार्य योजना तैयार कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. लाभार्थियों द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो।
2. लाभार्थियों की मृत्यु न हुई हो।
3. अन्य कारणों से लाभार्थी के पेंशन पाने हेतु अपात्र होने के संबंध में।

(8) लाभार्थियों को पेंशन धनराशि अंतरण की समय सीमा का निर्धारण:-

लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि चार तिमाही में भुगतान किये जाने की समय सीमा का निर्धारण किया गया है:-

- प्रथम तिमाही - मई माह में (अप्रैल, मई व जून माह का)
- द्वितीय तिमाही - जुलाई माह में (जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह का)
- तृतीय तिमाही-अक्टूबर माह में (अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर माह का)
- चतुर्थ तिमाही- जनवरी माह में (जनवरी, फरवरी व मार्च माह का)

(9) लाभार्थियों का आधार कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं फोटो अपलोड किया जाना:-

- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के आधार कार्ड नम्बर की फीडिंग अनिवार्य रूप से की जानी है। नये लाभार्थियों के द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में आधार कार्ड नम्बर स्वतः फीड किया जायेगा। पुराने लाभार्थियों के आधार कार्ड नम्बर सत्यापन के समय संकलित कराकर खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा फीड कराया जायेगा।
- इसी प्रकार एस0एम0एस0 की सुविधा प्रदान करने हेतु लाभार्थियों को उनके आवेदन पत्रों की स्थिति एवं धनराशि अंतरण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तथा समय पर योजना से संबंधित अन्य जानकारियॉ उपलब्ध कराने तथा मोबाईल फोन नम्बर मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से बल्क सत्यापन करने हेतु मोबाईल नम्बर का भी फीड कराया जाना अति आवश्यक है। सत्यापन के समय लाभार्थी का मोबाईल नम्बर सत्यापन अधिकारियों द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संकलित किया जायेगा और खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेटद्वारा फीड कराया जायेगा।

- o योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को ही प्राप्त हो, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी का फोटो भी अपलोड किया जाना है। नये लाभार्थियों के द्वारा फोटो आनलाईन आवेदन पत्र भरते समय स्वतः अपलोड किया जायेगा। पुराने लाभार्थियों के सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारियों को फोटो भी संकलित करना है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रे टद्वारा संबंधित लाभार्थी के विवरण में अपलोड किया जायेगा।

(10) लक्ष्य की पूर्ति हेतु कैम्प का आयोजन:-

- o पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में लक्ष्य 23,49,898 के सापेक्ष मात्र 17,31,878 लाभार्थियों का ही लक्ष्य पूर्ण हो पाया है। वर्ष 2017-18 का लक्ष्य 23,49,898 है, जिसे प्रत्येक जनपद में कैम्प का आयोजन कर आनलाईन आवेदन पत्र भरवाने से लेकर स्वीकृति तक की कार्यवाही उसी कैम्प में कराकर जनपदवार दिये गये लक्ष्य की पूर्ति की जानी है। जनपदवार एवं मण्डलवार निर्धारित लक्ष्य एवं वर्ष 2017-18 में लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत आवेदन पत्रों एवं प्रेषित धनराशि का विवरण संलग्नक-1 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।
- o वर्ष 2017-18 में जनपदवार लक्ष्य की पूर्ति हेतु कैम्प का आयोजन बृहद स्तर पर मा0 जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसमें आनलाईन आवेदन पत्र भरवाने की समस्त व्यवस्थायें करा ली जायें तथा तत्समय ही लाभार्थियों की आवश्यक जांच एवं खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या नगर मजिस्ट्रेटके माध्यम से अग्रसारण व जिला स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत कराने तक की कार्यवाही उसी कैम्प में पूर्ण कर ली जाय। उक्त कैम्प आवश्यकतानुसार कई दिन तक आयोजित किये जायेंगे।पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु कैम्प तहसील व ब्लाक स्तर पर भी आयोजित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया अपने मण्डल के सभी जनपदों को आवंटित लक्ष्य की पूर्ति हेतु पेंशन कैम्प संबंधित जनपदों में आवश्यकतानुसार ब्लाक, तहसील या जिला मुख्यालयों पर आयोजित कराने तथा उक्तानुसार आयोजित कैम्पों में लाभार्थियों के नये आवेदन पत्र भरवाने, पुराने लाभार्थियों के आधार कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर व फोटो अपलोड कराने तथा नये आवेदन पत्रों की जांच व स्वीकृत कराने की कार्यवाही अगस्त माह में कराकर जनपदवार आवंटित लक्ष्य को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-2177/60-1-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, योजना निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in